FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी.....

प्रार्थीगण **बनाम**	विप्रार्थीगण
1. रेखा पुत्र कुंभा वगैरा (7) जाति जाट निवासी गुरूओं का तला तहसील नौखडा जिला बाड़मेर	1. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड गुड़ामालानी 2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड आडेल 3. मैसर्स तनसिंह चौहान प्रोपराईटर जोगेन्द्रसिंह निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार नौखड़ा

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0...202 / 23.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील भेजारी हुए
10.02.2023	प्रार्थीगण रेखा वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री डालूराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड गुड़ामालानी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की अराजी मौजा गुरूओं का तला पटवार क्षेत्र नौखडा तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 4.7348 हैक्टेयर की अवस्थित है, जिसके पूर्वी सेढे पर नौखडा से छोटू जाने वाला कट्टाण मार्ग स्थित है, वर्तमान में कट्टाण मार्ग पर सड़क बनाई जा रही है तथा मौके पर पेड–पौधों की कटाई व बाड़े हटाने का का कार्य विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधीनस्थ कार्य करने वाले ठेकेदार विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा किया जा रहा है। कटान मार्ग प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सटा हुआ है वर्तमान में स्वीकृत सड़क को कटान मार्ग से छोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 599 के पूर्वी भाग में से निकालने पर आमदा है, यदि विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थी की भूमि के अन्दर से सड़क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, चूंकि वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण कटान मार्ग छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर से जबरन सड़क बनाने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा गुरूओं का तला पटवार क्षेत्र नौखडा तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 4.7348 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थित बनाए रखें। कटान मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य इस स्थगन आदेश से प्रभावित नहीं होगा। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आज ही प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को समन जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.11. 2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Keshav Kumar Meena Date: 2025.02.11 11:54:17 IST Reason: SelfAttested (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : तहसीलदार नौखड़ा प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील संशोधित शीर्षक पेश वास्ते अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 6/12/2024 को पेश हो।	
06/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी नवीन पताकावार के समय सं० शी० पेश करेंगे। पत्रावली दिनांक 27/12/24 को पेश हो।	
27/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाने के बावजूद प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.11 11:54:17 IST
Reason: SelfAttested